राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
एसबीयू–पीसी लिग्नाईट
खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

निविदा संख्याः आरएसएमएमएल/एसबीयू–पीसी लिग्नाईट/कान्ट्रेक्ट/2013–14/14 दिनांकः 06.03.2014

सोनरी लिग्नाईट खदान बाड़मेर
के लिये

01 NO. BOLERO – 07-SEATER
&
02 NOS. BOLERO – 09-SEATER

(Non AC Diesel Taxies permit)

किराये पर लेने हेतु
निविदा प्रपत्र

निविदा खुलने की तिथि 3**0.04.2014** समयः 3.30 बजें
स्थान : खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

निविदा प्रपत्र(अहस्तान्तरणीय) का मूल्य :– रूपये 1140 मू.सं.कर(अप्रतिदेय)
(अक्षरे रूपये ग्यारह सौ चालीस मात्र मूल्य सवंर्धित कर VAT सहित)

एसबीयू–पीसी–लिग्नाईट खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर– 302005	रजिस्टर्ड कार्यालय, आर.एस.एम.एम. लिमिटेड़, सी–89–90,जनपथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर–302015

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
एसबीयू–पीसी लिग्नाईट
खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
Phone : (0141) 2227627, 2227947 Fax: 0141-2227761

निविदा सूचना

निविदा संख्याः आरएसएमएमएल/एसबीयू–पीसी लिग्नाईट/कान्ट्रेक्ट/2013–14/14 **दिनांकः 06.03.2014**

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विक्रय व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि एवं निविदा प्रपत्र मूल्य	कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि
सोनरी लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर पर एक (01) बोलेरो– 7–सीटर एवं दो (02) बोलेरो–09–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) मय वाहन चालक सहित किराये पर लेने हेतु । **टैक्सीयों का मॉडल वर्ष 2013 का होना आवश्यक है**	04.04.2014 से 30.04.2014 दोपहर 01.00 बजें तक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2014 को अपरान्ह 3.00 बजें तक	बयाना राशि– रूपये 51360/– निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1140/–मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	**2 वर्ष** एक बोलेरो–7–सीटर (टैक्सी परमीट) 4000 कि.मी. प्रतिमाह एवं दो बोलेरो–09–सीटर (टैक्सी परमीट) 4000 कि.मी. प्रतिमाह **रूपये– 25.68 लाख**
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 30.04.2014 अपरान्ह 3.30 बजें		
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक (पीएण्डए/अनुबन्ध)	दूरभाष–(0141) 2227627, E-Mail: rsmmljpr@sancharnet.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com एवं sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है ।			

प्रबन्धक (पीएण्डए/अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
एसबीयू–पीसी लिग्नाईट
खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
Phone : (0141) 2227627, 2227947 Fax: 0141-2227761

विस्तृत निविदा सूचना

निविदा संख्याः आरएसएमएमएल/एसबीयू–पीसी लिग्नाईट/कान्ट्रेक्ट/2013–14/14 दिनांकः 06.03.2014

अनुभवी एवं सक्षम ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदायें दो भागों (अ) तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव (ब) दर प्रस्ताव, में आमन्त्रित की जाती है । कार्य का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

कार्य का विवरण	निविदा प्रपत्र विक्रय व प्रस्तुत करने की तिथि	बयाना राशि एवं निविदा प्रपत्र का मूल्य	**कार्य अवधि एवं न्यूनतम मासिक परिचालन एवं अनुमानित अनुबन्ध राशि**
प्राधिकृत व्यक्तियों के खान निरीक्षण कार्य हेतु सोनरी लिग्नाईट परियोजना, बाड़मेर पर एक (01) बोलेरो–7–सीटर एवं दो (02) बोलेरो–09–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) मय वाहन चालक सहित किराये पर लेने हेतु । **टैक्सीयों का मॉडल वर्ष 2013 का होना आवश्यक है**	04.04.2014 से 30.04.2014 दोपहर 01.00 बजें तक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30.04.2014 को अपरान्ह 3.00 बजे तक	बयाना राशि– रूपये 51360/– निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रूपये 1140/– मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	**2 वर्ष** एक बोलेरो–7–सीटर (टैक्सी परमीट) 4000 कि.मी. प्रतिमाह एवं दो बोलेरो–09–सीटर (टैक्सी परमीट) 4000 कि.मी. प्रतिमाह **रूपये 25.68 लाख**
सम्पर्क अधिकारी – प्रबन्धक (पीएण्डए/अनुबन्ध)	दूरभाष–(0141) 2227627, E-Mail: rsmmljpr@sancharnet.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्ते website- www.rsmm.com पर sppp.raj.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।			

निविदा के बारे में विस्तृत जानकारी निविदा प्रपत्र में उपलब्ध हैं ।

अहस्तान्तरणीय निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से अप्रतिदेय (नोन–रिफन्डेबल) मूल्य रूपये 1140/– (भू0सं0 कर VAT सहित) का भुगतान कर के उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किए जा सकते है ।

निविदाकर्ता अपनी निविदा **दिनांक 30.04.2014** को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय, खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में अपरान्ह 3.00 बजें तक प्रस्तुत करेगा तथा उसी दिन अपरान्ह 3.30 बजें उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निविदा का प्रथम भाग (तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव) खोला जाएगा, तथा सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाकर ऐसे सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (दर प्रस्ताव) बाद में खोला जाएगा उसकी सूचना सफल निविदाकर्ताओ को भिजवायी जावेगी ।

बयाना राशि रूपये 51360/– (रूपये इकावन हजार तीन सौ साठ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट /ई–पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम.लि., जयपुर के नाम से देय हो निविदा प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी ।

नोट– जिन निविदाकर्ताओं को कम्पनी द्वारा पूर्व में किसी भी कार्य हेतु कार्यादेश जारी किया गया हो उसके पश्चात् यदि उसे निविदाकर्ता ने स्वीकार नहीं किया हो या कार्य बीच में छोड़ दिया हो या निविदाकर्ता की गलती की वजह से कार्यादेश कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया हो तो ऐसे निविदाकर्ता इस टैण्डर में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगें ।

पात्रता – क्लॉज संख्या 3.0 अनुसार ।

प्रबन्धक (पीएण्डए/अनुबन्ध)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
एसबीयू–पीसी लिग्नाईट
खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर –302005,
फोन नं.–0141–**2227627**, 2227947, फैक्स नं– 0141–2227761
रजिस्टर्ड कार्यालय –आर.एस.एम.एम.लिमि.,–89–90, जनपथ, लालकोठी स्कीम, जयपुर–302015

निविदा संख्या– आरएसएमएमएल / एसबीयू–पीसी लिग्नाईट / कान्ट्रेक्ट / 2013–14 / 14 दिनांकः 06.03.014

निविदा प्रपत्र

1.0 **सोनरी लिग्नाईट खदानः**

सोनरी लिग्नाईट खदान, सोनरी जिला–बाड़मेर–हरसानी फन्टा सड़क पर बाड़मेर से लगभग 40 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । खान क्षेत्र में कच्ची एवं पक्की सड़क है व कम्पनी द्वारा इसका रख रखाव किया जाता है । निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व इनकी स्थिति अच्छी तरह देखकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरे ।

2.0 **वाहन एवं कार्य क्षेत्र**

2.1 **बोलेरो–7–सीटर एवं 09–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट):**

2.1.1 एक बोलेरो–(7–सीटर नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) खान प्रबन्धक द्वारा बाड़मेर से सोनरी खान क्षेत्रों के निरीक्षण के पश्चात् उन्हें वापिस बाड़मेर लाने व आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए । इसका दैनिक कार्य समय सुबह **08.00** बजे से रात **08.00** बजे तक का होगा । सामान्यतया इसका मुख्यालय बाड़मेर रहेगा। दैनिक कार्यावधि 12 घन्टे रखते हुये, उपरोक्त कार्य समय को 2 दिन का नोटिस देकर बदला जा सकता है ।

2.1.2 एक बोलेरो–(09–सीटर नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) जोकि खान से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों को जनरल पारी (शिफ्ट) में साधारणतया बाड़मेर से सोनरी लिग्नाईट खदान व खान क्षेत्रों के निरीक्षण के पश्चात् उन्हें वापिस बाड़मेर लाने के कार्य में प्रयुक्त की जावेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए भी इस वाहन का कम्पनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है । इसका कार्य समय सुबह **08.00** बजे से रात **08.00** बजे तक का होगा । सामान्यतया इसका मुख्यालय उप महा प्रबन्धक कार्यालय, बाड़मेर रहेगा । दैनिक कार्यावधि 12 घन्टे रखते हुये, उपरोक्त कार्य समय को 2 दिन का नोटिस देकर बदला जा सकता है ।

2.1.3 एक बोलेरो–(09–सीटर नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) जोकि खान से संबंधित अधिकारियों जैसे शिफ्ट इन्चार्ज व अधीनस्थ कर्मचारियों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सोनरी लिग्नाईट खान क्षेत्रों के निरीक्षण के कार्य हेतु प्रयुक्त की जावेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए भी इस वाहन का कम्पनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है । इसका मुख्यालय सोनरी खदान पर रहेगा एवं इसका मुख्यालय पूर्व सूचना द्वारा बदला जा सकेगा । इस वाहन का कार्यसमय तीनों पारियों अर्थात् 24 घंटे रहेगा ।

3.0 **पात्रताः**

निविदा प्रपत्र में संलग्न परिशिष्ठ संख्या–स के अनुसार निविदाकर्ता को 100/– रूपये के नोनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सम्बन्धित कार्यादेश जारी होने की स्थिति में निविदा प्रपत्र की शर्तो

के अनुसार सफलता पूर्वक कार्य सम्पादन करने वास्ते शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिये । उक्त शपथ पत्र को निविदा के प्रथम भाग के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, इस शपथ पत्र के प्रस्तुत न करने की अवस्था में निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत दर प्रस्ताव को खोलने योग्य नहीं माना जावेगा ।

4.0 **वाहनों का स्वामित्वः**

4.1 कम्पनी को उपरोक्तानुसार वाहन की नियमित आवश्यकता है । अतः निविदाकर्ता के स्वयं/फर्म के किसी एक या अधिक साझीदार के नाम पर वाहन का पंजीकृत होना आवश्यक है । वाहन वर्ष 2013 के मॉडल का होना चाहिए ।

4.2 उपरोक्त क्लाज के अनुसार स्वयं का वाहन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निविदाकर्ता को एक शपथपत्र परिशिष्ट–र देना होगा कि उसके पक्ष में कार्य स्वीकृत होने पर वह कार्यादेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर उक्त वाहन उपलब्ध करवा देगा तथा क्लाज 9.5(क) के अनुसार प्रस्तावित वाहन सम्बन्धित सभी विवरण इस कार्यालय को सूचित करेगा, अन्यथा कम्पनी को उसकी बयाना राशि जब्त करने का अधिकार होगा ।

4.3 निविदाकर्ता, वाहन का स्वामित्व कार्यावधि के दौरान किसी भी अवस्था में लीज–डीड/पॉवर आफ अटोर्नी/ट्रान्सफर डीड अथवा अन्य माध्यम के जरिये किसी अन्य व्यक्ति/संस्था इत्यादि को हस्तान्तरण नहीं करेगा । ऐसा करने पर प्रबन्धन को अनुबन्ध समाप्त करने का व धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5.0 **संविदा प्रस्ताव (दरों) की मान्यता**

निविदा का प्रस्ताव (दरें) निविदा खोलने की तिथि से छः(06) माह तक मान्य होंगे ।

6.0 **<u>कार्य अवधि</u>**

1–कार्य की अवधि कार्यादेश जारी करने की तिथि से दो (02) वर्ष होगी ।

2–कम्पनी द्वारा आपसी सहमति से इस अवधि को आगे एक (01) वर्ष बिना किसी नई शर्त पर बढ़ाया जा सकता है ।

7.0 **बयाना राशि**

7.1 निविदा प्रपत्र जमा कराने के साथ **रूपये 51360/–(रूपये इकावन हजार तीन सौ साठ मात्र)** का डिमाण्ड ड्राफ्ट बयाना राशि के रूप में, जो कि आर.एस.एम.एम.लि., जयपुर के नाम से देय हो संलग्न करना आवश्यक है ।

7.2 उपरोक्त के अलावा निविदाकर्ता द्वारा ई–पेमेन्ट द्वारा बयाना राशि का भुगतान भी किया जा सकता है जिसके लिये आरएसएमएम लिमि. के बैंक खाते इत्यादि का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of beneficiary	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR	RSMM LTD., JAIPUR
Name of Bank	**Axis Bank**	**ICICI Bank**	**HDFC Bank**
Bank Location	Malviya Nagar, Jaipur	Khanij Bhawan, Tilak Marg,Jaipur	Aditya Tower, New Sanganer Road, Jaipur
Type of Account	C.D.	C.D.	C.D.
C.D. Account No.	**910020036634989**	**678605000722**	**18437630000803**
IFSC Code	**UTIB 0000626**	**ICIC 0006786**	**HDFC 0001843**

निविदाकर्ता को उपरोक्त बयाना राशि जमा अन्तिम तिथि से पूर्व करवाना होगा एवं इस हेतु बैंक के संबंधित रेफरेन्स आईडी नम्बर की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा ।

7.3 बिना बयाना राशि के निविदा प्रपत्र स्वीकृत नहीं किये जाएंगे ।

7.4 बयाना राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

7.5 असफल निविदाकर्ता की बयाना राशि सफल निविदाकर्ता को कार्य का आदेश दिये जाने एवं उसके द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात लौटा दी जाएगी ।

7.6 सफल निविदाकर्ता की बयाना राशि को धरोहर राशि में समायोजित किया जा सकेगा

7.7 अगर सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी करने के पश्चात् पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ नही करता है तो बयाना या अन्य जमा राशि जब्त कर ली जाएगी व कार्यादेश निरस्त किये जाने का अधिकार कम्पनी को होगा । ऐसे संविदाकार भविष्य में कम्पनी की किसी निविदा में भाग नहीं ले सकेगें ।

7.8 निविदाकर्ता द्वारा जमा बयाना राशि निम्न परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा जब्त की जा सकती हैः–

i) यदि निविदाकर्ता निविदा देने के पश्चात वैद्यता अवधि के दौरान अपनी निविदा व प्रस्ताव को परिवर्तित करता अथवा वापिस लेता है ।

ii) यदि निविदाकर्ता जारी कार्य आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त कर स्वीकृति प्रदान नहीं करता है ।

iii) यदि निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर वाछित धरोहर राशि जमा नहीं करवाता है ।

iv) यदि निविदाकर्ता प्रपत्र में उल्लेखित निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध सम्पादित नहीं करता है ।

v) यदि यह कम्पनी द्वारा सुनिश्चित हो जाता है कि निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के समय अथवा बाद में निविदाकर्ता ने गलत सूचना व जाली दस्तावेज निविदा प्रपत्र में संलग्न किये है ।

vi) यदि कार्य आदेश जारी होने के पश्चात निर्धारित अवधि में कार्य आरम्भ नही किया जाता है।

8.0 धरोहर राशि

8.1 धरोहर राशि कुल संविदा राशि (contract amount) की पॉच प्रतिशत (5%) (राजस्थान ट्रान्सपरेन्सी एक्ट 2013 के अनुसार) होगी।

8.2 बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. /ई–पेमेन्ट के द्वारा कार्य आदेश/सहमति पत्र देने के पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी।

8.3 अगर निविदाकर्ता कार्य करने में विफल रहता है तो कम्पनी अपने विवेक से धरोहर राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर सकेगी ।

8.4 कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा कि संविदाकर्ता का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा उसके कारण कम्पनी को किसी प्रकार की हानि होने पर धरोहर राशि में से हानि की निर्धारित रकम काट कर भरपायी कर ली जायेगी । ऐसी कटौती के परिणाम स्वरूप धरोहर राशि में कोई कमी रहती है तो उसकी पूर्ति संविदाकर्ता के मासिक बिलों में से की जा सकेगी ।

8.5 धरोहर राशि संविदा के समाप्त होने के सामान्यतः छह (6) माह के पश्चात लौटा दी जाएगी, बशर्ते कि संविदाकार ने सभी प्रकार की कटौतियॉ, श्रमिकों का वेतन इत्यादि का भुगतान कर दिया हो व इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिया हो ।

8.6 धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।

9.0 निविदा प्रपत्र को भरनाः

निविदा प्रपत्र दो (02) भागों में भरा जायगा, जोकि निम्न प्रकार से हैः–

प्रथम भाग – तकनीकी वाणिज्यिक (Techno-commercial Part)- परिशिष्ठ–ब
द्वितीय भाग– कार्य की दरें (Rate Part) -परिशिष्ठ–व

9.1 निविदाकर्ता को स्थान, मार्ग के कच्चे/पक्के, दूरी आदि के बारे में संविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वंय को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियॉ/संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेगें । निविदा में निविदाकर्ता द्वारा लिखी गई किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी एवं ऐसी परिस्थिति में टेण्डर निरस्त भी किया जा सकता है ।

9.2 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

9.3 निविदाकर्ता को निविदा प्रपत्र की शर्तो की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद मय सील के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

9.4 निविदाकर्ता अपनी निविदा दोनों भागों के लिए अलग अलग लिफाफे में सील बंद करके प्रस्तुत करेगा तथा दोनों लिफाफों पर स्पष्ट रूप से भाग का नाम, निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख, निविदाकर्ता का नाम व पता लिख कर दोनों को एक अन्य तीसरे लिफाफे में सील कर निर्धारित तिथि को अपरान्ह **3.00** बजें तक कंपनी के खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा । निर्धारित तिथि को **3.30** बजें अपरान्ह उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधियों (स्वयं के उपस्थित न होने पर प्रतिनिधित्व का प्रमाण पत्र वांछित है) के समक्ष खनिज भवन, तिलक मार्ग, जयपुर स्थित कार्यालय में निविदा का प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग खोला जाएगा । इसके पश्चात कम्पनी द्वारा प्राप्त निविदाओं के तकनीकी वाणिज्यिक भाग का परीक्षण किया जाकर तथा इसमें सफल निविदाकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा । ऐसी सूचीबद्ध निविदाकर्ताओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकर्ताओं को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से पत्राचार या अन्य माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा ।

9.5 प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव भाग (मय परिशिष्ठ–अ एवं ब):

प्रथम भाग –

क. निविदा कर्ता को निम्न विवरण व सत्यापित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक हैः–

(i) वांछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या ई–पेमेन्ट का विवरण।

(ii) आरएसएमएमएल की वेब–साईट से डाउनलोड किये गये फार्म की स्थिति में प्रपत्र का मूल्य निविदा में निर्देर्शित मूल्य का ड्राफ्ट अलग से निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है ।

(iii) स्वयं के स्वामित्व वाली 2013 के मॉडल वाली एक बोलेरो 07–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) और दो (02) बोलेरो (09–सीटर, नान एसी, डीजल टैक्सी परमीट) का रजिस्ट्रेशन की सत्यापित फोटो प्रति या प्रपत्र (परिशिष्ठ–र) के अनुसार 10 रूपये के स्टाम्प पर शपथपत्र ।

(iv) कम्पनी में लगाई जाने वाली बोलेरो 7–सीटर एवं 09–सीटर टैक्सी की अन्दर से तथा बाहर से लिए गए फोटो चित्र ।

(v) वाहनों के कम्प्रेहैसिंव बीमें की सत्यापित फोटो प्रति ।

(vi) वाहनों के रोड़ परमिट की सत्यापित फोटो प्रति ।

(vii) वाहनों के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए फिटनेस प्रमाणपत्र की सत्यापित

फोटो प्रति ।

ख–निविदाकर्ता के संबंध में :

(i) निविदाकर्ता का नाम, पता, टेलिफोन नं0, मोबाइल नं., फैक्स नं0 इत्यादि की जानकारी
(ii) फर्म की स्थिति में फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) की सत्यापित फोटो प्रति एवं साझेदारी डीड की सत्यापित फोटो प्रति ।
(iii) पात्रता के संबंध में किये गये कार्य का विवरण ।
(iv) सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।
(v) पात्रता के संबंध में क्लॉज संख्या 3.0 के अनुसार शपथ पत्र ।
(vi) निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित फोटो प्रति ।
(vii) पी.एफ. खाता नम्बर की फोटो प्रति या शपथ पत्र परिशिष्ट–ल प्रस्तुत करना होगा।
(viii) पेन कार्ड नं. की प्रमाणित फोटो प्रति ।
(ix) परिशिष्ट–द के अनुसार निविदा प्रपत्र में अतिरिक्त शर्ते नहीं होने, निविदाकर्ता को पूर्व में कम्पनी द्वारा निलम्बित न किये जाने व कम्पनी के साथ कोई भी लम्बित विवाद न होने हेतु अण्डरटेकिंग देनी होगी।
(x) सर्विस टैक्स के बाबत निविदाकर्ता द्वारा यदि किसी भी प्रकार का अबेटमेन्ट, संबंधित सर्विस टैक्स विभाग से लिया जाता हो तो निविदाकर्ता को (अपने लेटर–हेड पर) निविदा प्रपत्र के क्लाज नं. 12.0 के अनुसार अण्डरटेकिंग देना अनिवार्य होगी ।

नोट– निविदाकर्ता द्वारा सर्विस टैक्स के क्लाज नं. 12.0 को अच्छी तरह से समझकर दर प्रस्ताव दिया जावें । न्यूनतम दर का निर्धारण क्लाज नं. 12.0 में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार किया जावेंगा।

(xi) राजस्थान लोक उपानन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपानन नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न एनेक्सर्स संलग्न किये हैः–
Annexure-A :Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest
Annexure-B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications
Annexure-C : Grievance Redressal during Procurement Process and Form No.1
Annexure-D : Additional Conditions of Contract

नोट– **Annexure-B में निविदाकर्ता द्वारा घोषणा किया जाना आवश्यक है।**

उपरोक्त 'क' एवं 'ख' भाग मिलाकर पूरा तकनीकी–वाणिज्यिक भाग होगा व इन्हें लिफाफे में बंद कर, लिफाफे पर तकनीकी–वाणिज्यिक प्रस्ताव तथा निविदा की संख्या, निविदा खोलने की तारीख और निविदाकर्ता का नाम व पता लिखकर कर प्रस्तुत करने होंगे । निविदाकार को निविदा प्रपत्र की शर्तो की स्वीकृति हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर अपने नाम व पद के साथ दिनांक लगाकर हस्ताक्षर करना आवश्यक है ।

9.6 **द्वितीय भाग – कार्य की दरें (Rate Part)** :
कार्य की दरें परिशिष्ठ–व में भरनी है जो कि अलग लिफाफे पर **कार्य की दर प्रस्ताव** निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख व निविदाकर्ता का नाम और पता लिखकर बंद कर प्रस्तुत करनी होगी, जोकि तकनीकी–वाणिज्यिक भाग के लिफाफे के साथ मिलकर तीसरे लिफाफे पर निविदा संख्या, निविदा खोलने की तारीख, निविदाकर्ता का नाम व पता लिखकर लिफाफे को सीलबन्द किए जाकर प्रस्तुत किये जाएगें ।

9.7 निविदाकार अपनी निविदा को अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक कंपनी के खनिज भवन, जयपुर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा तथा उसी दिन **3.30** बजें अपरान्ह को उपस्थित निविदाकारों या उनकें प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खनिज भवन, जयपुर स्थित कार्यालय में निविदा का प्रथम तकनीकी–वाणिज्यिक भाग खोला जाएगा तथा इसमें सफल निविदाकारों को सूचीबद्ध किया जाएगा एवं ऐसी सूचीबद्ध निविदाओं का ही द्वितीय भाग (कार्य की दरों से संबंधित) खोला जाएगा । सफल निविदाकारों को द्वितीय भाग खोलने की तिथि के बारे में अलग से अवगत करा दिया जाएगा।

10. निविदाओं का मूल्यांकन एवं कार्य आदेशः

10.1 सफल निविदाकारों के दर प्रस्ताव का कम्पनी द्वारा मूल्यांकन किया जावेगा । उचित दर पाये जाने पर न्यूनतम प्रस्ताव को कम्पनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि न्यूनतम दर प्रस्ताव स्वीकार्य नही हो तो कम्पनी द्वारा इस निविदा प्रपत्र के क्लॉज 11.1 के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है ।

10.2 ऐसे निविदाकार को कम्पनी द्वारा जारी कार्य आदेश को अपनी स्वीकृति लिखित में देनी होगी ।

10.3 कार्य आदेश के पन्द्रह दिनों में कार्यारम्भ करना होगा । बयाना राशि का समायोजन करने के पश्चात निविदाकर्ता को बकाया धरोहर राशि डी.डी. के रूप में कार्य आदेश की तिथि से पन्द्रह (15) दिन के अन्दर जमा करानी होगी ।

10.4 सफल निविदाकर्ता को जारी कार्यादेश की स्वीकृति के पश्चात तीस (30) दिन में कम्पनी के साथ अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होगें, जोकि इस निविदा की शर्तो, स्वीकृत दरों आदि पर आधारित होगा ।

10.5 सफल निविदाकर्ता कार्यादेश जारी होने के पश्चात संविदाकार/संविदाकर्ता माना जावेगा ।

10.6 संविदाकार द्वारा अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही कम्पनी द्वारा संविदाकर्ता के बिलों का भुगतान किया जायेगा । संविदाकर्ता द्वारा अनुबन्ध हेतु अपेक्षित मूल्य का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा तथा कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अनुबन्ध हस्ताक्षरित करने होगें ।

11. नेगोशियेशनः

11.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L_1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोशियेशन किया जा सकता है । न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबन्धन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदा कर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमन्त्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L_3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा । जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है ।

11.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोशियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा ।

11.3 नेगोशियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति/अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमे की यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित/बदलने के लिए प्राधिकृत है ।

12.0 **TAXES:**

Service Tax:

(i) The tenderer shall quote the rates exclusive of service tax.

In case the tenderer (other than a company) is availing any abatement, then the entire service tax payable & applicable i.e. 40% of value will be deposited by the Company. An Undertaking of availing service tax abatement shall be submitted by the tenderer with part-I of the tender. In case of non submission of same it will be considered that the tenderer is not availing abatement of service tax and lowest bidder will be determined considering additional service tax liability on the service provider.

In case the tenderer (other than a company) is not availing abatement on service tax, then 60% value of service tax will be deposited by the contractor & later reimbursed by the Company subject to submission of documentary proof. Remaining 40% of service tax will be deposited directly by the Company. The present applicable rate of Service Tax is @ 12.36%.

However, it is to be noted that in case of bidders in the capacity of a company, the entire liability of deposition of service tax shall lie with the service provider, and therefore, the same shall be reimbursed by the Company subject to submission of documentary proof.

(ii) **Other Taxes**

The rate quoted by the contractor will be inclusive of all taxes (accept Service Tax), duties, levies as applicable on this contract (up to the last date of submission of bids). The rates quoted shall be on 'firm price' basis during the pendency of the contract period and the contractor shall not be eligible for any escalation (except as mentioned in the tender document) in the rates on whatsoever ground.

Any fresh imposition/variation in statutory duties, taxes or levies, made by statutory authorities after the last date of submission of bids will be reimbursed to contractor or recovered by the Company as the case may be. The reimbursement/recovery from the contractor will be made against submission of supporting documents for only such taxes/duties/levies that are directly applicable to the contract and reflected on his running bills.

The company shall fully entitle to deduct income tax and/or any other levies at sources as per the rules and instructions as may be applicable for this purpose from time to time.

13.0 **बिलों का भुगतानः**

13.1 संविदाकार को बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा ।

13.2 महीने का कार्य पूर्ण होने पर संविदाकार अगले माह की प्रथम सप्ताह में दो या अधिकतम 7 तारीख तक बिल दो (02) प्रतियों में कम्पनी के अधिकृत प्रयोगकर्ता द्वारा प्रमाणित करवा कर प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगा ।

13.3 यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की फोटो प्रति बिल के साथ कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी ।

13.4 साधारणतः मासिक बिल का भुगतान वैधानिक कटौतियॉ करने के बाद एवं बिल प्रस्तुत करने के पन्द्रह (15) दिन की अवधि के अन्दर अकाउन्ट–पेयी चैक के द्वारा कर दिया जाएगा ।

13.5 प्राकृतिक आपदा अथवा किन्हीं अपरिहार्य कारणों से बोलेरो 07–सीटर (टैक्सी)/बोलेरो 09–सीटर टैक्सी का उपयोग नहीं होने पर, ऐसी अवधि का कोई भुगतान अथवा क्षतिपूर्ति या अन्य किसी प्रकार के दावे की राशि कम्पनी द्वारा देय नही होंगी

13.6 निर्धारित समयावधि तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर उसका भुगतान साधारणतया अगले माह में किया जायेगा ।

14.0 वाहनों का उपयोगः

14.1 बोलेरो– 7–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) खान प्रबन्धक द्वारा सोनरी खान क्षेत्रों के निरीक्षण के पश्चात् उन्हें वापिस बाड़मेर लाने व आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए । इसका दैनिक कार्य समय सुबह **08.00** बजे से रात **08.00** बजे तक का होगा । सामान्यतया इसका मुख्यालय बाड़मेर रहेगा । दैनिक कार्यावधि 12 घन्टे रखते हुये, उपरोक्त कार्य समय को 2 दिन का नोटिस देकर बदला जा सकता है ।

14.2 एक बोलेरो– 09–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) जोकि खान से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों को जनरल पारी (शिफ्ट) में साधारणतया बाड़मेर से सोनरी लिग्नाईट खदान व खान क्षेत्रों के निरीक्षण के पश्चात् उन्हें वापिस बाड़मेर लाने के कार्य में प्रयुक्त की जावेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए भी इस वाहन का कम्पनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है । इसका कार्य समय सुबह **08.00** बजे से रात **08.00** बजे तक का होगा । सामान्यतया इसका मुख्यालय उप महा प्रबन्धक कार्यालय, बाड़मेर रहेगा । दैनिक कार्यावधि 12 घन्टे रखते हुये, उपरोक्त कार्य समय को 2 दिन का नोटिस देकर बदला जा सकता है ।

14.3 एक बोलेरो– 09–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) जोकि खान से संबंधित अधिकारियों जैसे शिफ्ट इन्चार्ज व अधीनस्थ कर्मचारियों तथा अन्य प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा सोनरी लिग्नाईट खान क्षेत्रों के निरीक्षण के कार्य हेतु प्रयुक्त की जावेंगी तथा आवश्यकता पड़ने पर साधारण कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त बाड़मेर जिले व उससे बाहर आने जाने के लिए भी इस वाहन का कम्पनी द्वारा उपयोग किया जा सकता है । इसका मुख्यालय सोनरी खदान पर रहेगा एवं इसका मुख्यालय पूर्व सूचना द्वारा बदला जा सकेगा । इस वाहन का कार्यसमय तीनों पारियों अर्थात् 24 घंटे रहेगा ।

14.4 साधारण कार्य अवधि (12घंटे) से अतिरिक्त समय के लिये उपरोक्त वाहन रोके जाने पर रूपये तीस (30/–) प्रतिघंटा, अधिकतम तीन घंटे, अतिरिक्त देय होगा । बाड़मेर एवं खान क्षेत्र के अलावा वाहन का विश्राम, रात्रि 11.00 बजें के पश्चात् यदि किसी स्थान पर करना आवश्यक हो तो, रात्रि विश्राम भत्ता रूपये 100/– प्रति रात्रि की दर से देय होगा, इस स्थिति में रूपये 30/– प्रतिघंटा की राशि रात्रि 8 बजें से 11 बजें की अवधि के लिए देय नहीं होगी । शिफ्ट कार्य में वाहन प्रयुक्त होने की अवस्था में रात्री विश्राम भत्ता देय नही होगा । इस क्लॉज के तहत सोनरी खदान पर मुख्यालय पर तीनों पारियों

में उपयोग में ली जाने वाले वाहन, बोलेरो 09–सीटर जोकि क्लाज संख्या 14.3 के अनुसार लगाये गये वाहन के ठहराव आदि पर उक्त परिलाभ लागू नहीं होगे ।

14.5 उपरोक्त बोलेरो–(07–सीटर व 09–सीटर नान एसी डीजल टैक्सी) के उपयोग में आवश्यकतानुसार कमी व वृद्धि (परिवर्तन) भी की जा सकेगी । इस परिवर्तन की सूचना उप महाप्रबन्धक (खनन) द्वारा सामान्यतः दो दिन पूर्व दी जाएगी । अपरिहार्य कारणों से यह परिवर्तन तुरन्त प्रभाव से भी लागू हो सकता है ।

15.0 डीजल की दरों में परिवर्तन होने परः

15.1 यदि डीजल की दरों में संविदा की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किया जाता है अर्थात् बाड़मेर में डीजल रिटेल बिक्री की दरों में बढ़ोतरी या कमी होती है तो निम्नलिखित फार्मूले (सूत्र) के अनसुार संविदा में वर्णित देय दरों में बढ़ोतरी अथवा कमी की जा सकेगी । वृद्धि अथवा कमी (एस्केलेशन अथवा डिएस्केलेशन) की गणना करने के लिये डीजल की मूल दर निविदा की प्रस्तुति दिनांक को लागू दर, जोकि संबंधित इकाई प्रमुख द्वारा प्रमाणित हो, के आधार पर मान्य होगी । प्रत्येक माह के प्रथम दिवस को प्रचलित डीजल दर उस माह के लिए लागू रहेगी । किसी माह के बीच में डीजल की दरों में होने वाली घटत बढ़त का उस माह में देय दरों पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

15.1.1 **<u>बोलेरो–(07–सीटर टैक्सी) के लिए मासिक स्थिर (तय)दर के संबंध में</u>**

(डीजल की वर्तमान दर–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय की डीजल दर)
X प्रतिमाह यात्रित (4000 कि.मी.तक)
————————————————————————
12 कि.मी.प्रति लीटर

15.1.2 **बोलेरो–(07–सीटर टैक्सी) के अतिरिक्त मासिक किलोमीटर के संबंध में**

(डीजल की वर्तमान दर–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय की डीजल दर)
X अतिरिक्त किलोमीटर
————————————————————————
12 किलोमीटर प्रति लीटर

15.1.3 **<u>बोलेरो–(09–सीटर टैक्सी) के लिए मासिक स्थिर (तय)दर के संबंध में</u>**

(डीजल की वर्तमान दर–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय की डीजल दर)
X प्रतिमाह यात्रित (4000 कि.मी.तक)
————————————————————————
12 कि.मी.प्रति लीटर

15.1.4 **<u>बोलेरो–(09–सीटर टैक्सी) के अतिरिक्त मासिक किलोमीटर के संबंध में</u>**

(डीजल की वर्तमान दर–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के समय की डीजल दर)
X अतिरिक्त किलोमीटर (4000 कि.मी.तक)
————————————————————————
12 कि.मी.प्रति लीटर

15.2 कार्य आदेश जारी होने पर संविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर बाड़मेर में डीजल की प्रचलित दर, जोकि डीजल रिटेल आउट–लेट के द्वारा जारी किया गया हो को उप महा प्रबन्धक (खनन), आरएसएमएमएल से प्रमाणित करवा कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

15.3 डीजल की दरों में पॉच (05) पैसे प्रतिलीटर तक की घटत–बढ़त का कोई प्रभाव नहीं दिया जायेगा ।

15.4 उपरोक्त घटत बढ़त केवल डीजल की दरों में परिवर्तन होने पर ही उपर्युक्तानुसार लागू होगी । किसी अन्य सामग्री जैसे स्पेयर पार्ट्स, ऑयल एवं कर्मचारियों के वेतन इत्यादि की दरों में होने वाली घटत बढ़त का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

16.0 **वाहनों पर नियोजित चालक व हेल्पर:**

16.1 बोलेरो–(07–सीटर एवं 09–सीटर टैक्सी) के चालक मासिक आधार पर नियोजित स्वस्थ, मृदुभाषी, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुशासित होने आवश्यक हैं । वाहन चालकों की सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ठ–अ) में देनी होगी ।

16.2 बोलेरो–(07–सीटर एवं 09–सीटर टैक्सी) के पास ड्यूटी के दौरान परिवहन विभाग द्वारा जारी किया गया अधिकृत वाहन चलाने का लाइसेंस, टोकन तथा वाहन के संपूर्ण प्रपत्र होने आवश्यक है ।

16.3 सामान्यतः बोलेरो–(07–सीटर एवं 09–सीटर नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए परन्तु चालक में परिवर्तन करने पर उसकी संपूर्ण पूर्व सूचना प्रबन्धन को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ठ–अ में देनी होगी ।

16.4 पारी के अंत में/दैनिक कार्य पूर्ण होने पर लॉग बुक में प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगीए तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लॉग बुक की जॉच करने के लिए मांगने पर वाहन चालक को लॉग बुक प्रस्तुत करनी होगी ।

16.5 कम्पनी की जिम्मेदारी केवल लॉग बुक में सत्यापित यात्राओं के भुगतान की रहेगी । यात्रा विवरण की वे प्रविष्टियॉ जिन का सत्यापन कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, उनका भुगतान करने की कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी ।

16.6 कोई भी वाहन चालक ड्यूटी के दौरान शराब अथवा किसी अन्य नशीले पदार्थ का सेवन किए हुए पाया जाने पर उसे वाहन का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था संविदाकार की जोखिम व लागत पर ही की जा सकेगी व इसका संपूर्ण भुगतान संविदाकार के मासिक बिलों में से कटौती करके किया जाएगा ।

16.7 तीनों वाहन चालक सदैव वाहन को ठीक तरह से चलायेगें और किसी भी तरह के वाद–विवाद अथवा दुर्घटना से बचाव करेगें । यात्रा के दौरान वाहन चालक या हेल्पर की गलती से या अन्य किसी कारण से यदि उस पर कोई दंड किसी राजकीय विभाग द्वारा लगाया जाता है तो उसका भुगतान संविदाकार को करना होगा तथा ऐसी स्थिति में कर्मचारियों व अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था से गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुॅचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

16.8 वाहनों पर लगाए गए कर्मचारियों का वेतन, भत्ता इत्यादि का भुगतान संविदाकार द्वारा देय होगा । यदि संविदाकार अपने कर्मचारी का भुगतान प्रत्येक माह की सात (07) तारीख तक नहीं करता है तो कम्पनी को अधिकार होगा कि वह निविदाकर्ता के मासिक बिलों में से कटौती करके वाहन पर लगाए गए कर्मचारी को देय मासिक वेतन का भुगतान कर देवें ।

16.9 वाहनों पर लगाए गए कर्मचारियों का व्यवहार अथवा कार्य उचित नहीं पाने पर संविदाकार को ऐसे कर्मचारियों को तुरन्त बदलना होगा ।

16.10 चालक के पास मोबाइल चालू हालत में हमेशा होना चाहिये तथा उसे हिंदी पढ़ने लिखने का ज्ञान होना आवश्यक है वाहन चालक एवं मालिक को कम्पनी के वाहन संचालन संबंधित सभी निर्देशो की पूर्णरूप से पालना करनी होगी । वाहन चालक संविदा समयावधि में वाहन का उपयोग किसी भी निजी अथवा अन्य कार्यो के लिए नहीं करेगा और कानून विरूद्ध कार्य में परिचालन नहीं करेगा ।

16.11 संविदाकार वाहन चालक द्वारा निविदा की शर्तो के उल्लघंन पर 1500/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए बाध्य होगा जोकि अनुबन्ध मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नही होगा ।

17.0 **बोलेरो (07–सीटर एवं 09–सीटर टैक्सीयों) के परिचालन के संदर्भ में:**

17.1 तीनों बोलेरो (एक 07–सीटर एवं दो 09–सीटर नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) **वर्ष 2013 के मॉडल की होना आवश्यक** हैं ।

17.2 उपरोक्त अनुबन्धित वाहन मोटर टैक्सी परमिट की होनी चाहिए । यदि अनुबन्धित वाहन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो जिस वाहन (इण्डिगो (डीजल टैक्सी) वाहन का मॉडल वर्ष 2013 का होना आवश्यक है की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जाएगी वह वाहन भी रोड़/रूट परमिट का होना आवश्यक है । परमिट की एक सत्यापित/फोटो प्रति ठेकेदार को कम्पनी में जमा करवानी आवश्यक होगी ।

17.3 ठेकेदार को उपरोक्त अनुबन्धित वाहनों (तीनों टैक्सीयों) के साथ हर समय काम में आने वाले औजार, स्टेपनी एवं आवश्यक स्पेयर्स रखने आवश्यक होंगे । कम्पनी के यान्त्रिक अभियंता/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर इनका निरीक्षण किया जा सकेगा ।

17.4 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों पर पूर्ण रूप से सीट कवर, पर्दे इत्यादि सही हालत में लगे होने अनिवार्य है। इनके समय समय पर रखरखाव व व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी भी निविदाकर्ता की होगी ।

17.5 बोलेरो (07–सीटर एवं 09–सीटर टैक्सीयों) के रखरखाव/दुरूस्ती करवाने की दशा में उसके स्थान पर संविदाकार को उसी प्रकार की वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी । ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में प्रबन्धन को समय से पूर्व लिखित में अवगत कराना होगा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो ।

17.6 यदि बोलेरो–(07–सीटर एवं 09–सीटर टैक्सीयों) में से किसी भी वाहन को लम्बे समय के लिए मरम्मत के लिए ले जाना है तो निविदाकर्ता को इसकी पूर्व अनुमति प्रबन्धन से लिखित रूप में लेनी होगी तथा इस दौरान सुचारू वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यदि संविदाकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है तो कम्पनी संविदाकार की जोखिम व लागत (Risk & Cost) पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करेगी व इसका समायोजन संविदाकार के मासिक बिलों से किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था हेतु प्रबन्धन 07–सीटर बोलेरो वास्ते रूपये 2000/–प्रति दिन एवं 09–सीटर बोलेरो वास्ते रूपये 2500/–प्रति दिन प्रति वाहन तक पेनल्टी वसूल कर सकेगा ।

17.7 समय की पाबंदी इस संविदा का मुख्य मर्म है। अतः, समय पर वाहन के नही पहुँचने अथवा संविदाकार की लापरवाही से उसकी सेवायें उपलब्ध नहीं होने पर प्रबंधन निम्नानुसार पेनल्टी लगाने के लिए स्वतंत्र होगा :–

अ	वाहन के निर्धारित समय से पंद्रह (15) मिनट देर से आने पर	रू.**75**/–प्रति बार देर से आने पर
ब	वाहन के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से आने पर	रू.**125**/–प्रति बार देर से आने पर
स	यदि वाहन आधे घंटे से अधिक देरी से आता है तो उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा ।	
द	अगर वाहन आता ही नही है या कार्यावधि के दौरान खराब हो जाता है तो 1 घंटे पश्चात्, संविदाकार की रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य वाहन को कम्पनी द्वारा लगाया जाएगा, यह अतिरिक्त देय राशि संविदाकार के बिलों से काटी जायेगी ।	

17.8 संविदाकार को अनुबन्धित वाहनों के लिए लॉग बुक सही हालत में रखनी होगी ।

17.9 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों को दुरूस्त रखना एवं सही समय पर उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी संविदाकार की होगी ।

17.10 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों का उपयोग पूर्णतः आर.एस.एम.एम.लिमिटेड के लिए ही किया जाएगा । उक्त वाहन में केवल आर.एस.एम.एम. लिमिटेड के कर्मचारी व अधिकारी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही यात्रा कर सकेंगे ।

17.11 उपरोक्त अनुबन्धित तीनों वाहनों को चलाने के संबंध में ईधन, ऑयल, इत्यादि का खर्चा निविदाकर्ता को वहन करना होगा । वाहन के साथ में प्राथमिक उपचार हेतु फर्स्ट एड बाक्स (First Aid Box) आवश्यक औषधियों सहित संविदाकर्ता को रखना अनिवार्य होगा ।

17.12 जिला प्रशासन द्वारा चुनावों या अन्य कार्यो में उपरोक्त वाहनों की कोई मांग होने पर डीजल संबंधी भुगतान जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा । कम्पनी कोई भुगतान नही करेगी तथा कम्पनी के लिए वाहनों की वैकल्पिक व्यवस्था भी ठेकेदार को करनी होगी तथा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर ठेकेदार की लागत व जोखिम (cost & risk)पर विभाग द्वारा व्यवस्था की जायेगी ।

18.0 स्थानीय कार्यालय

संविदाकार को अपना स्थानीय कार्यालय बाड़मेर में खोलना होगा तथा वहॉ पर किसी ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति करनी होगी जो कि संविदाकार की तरफ से निर्णय लेने में सक्षम हो । ऐसे कार्यालय व नियुक्त किये गए व्यक्ति की जानकारी संविदाकार को कंपनी में लिखित रूप से प्रस्तुत की जाना आवश्यक है तथा नियुक्त व्यक्ति को सामान्यतःकम्पनी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करना आवश्यक है ।

19.0 संविदा की समाप्ति

19.1 कार्य आदेश जारी होने की निर्धारित 15 दिन की अवधि में कार्य आरम्भ न करने की स्थिति में कार्य आदेश रद्‌द किया जा सकता है तथा बयाना/धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।

19.2 यदि संविदाकार की सेवायें संतोषजनक नहीं है अथवा वह वाहन सात (07) दिन तक लगातार ड्यूटी हेतु उपलब्ध नहीं कराता है तो प्रबन्धन बिना कोई नोटिस दिए संविदा को समाप्त कर सकता है । इस प्रकार संविदा समाप्ति से यदि कंपनी को कोई हानि होती है व कम्पनी को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अतिरिक्त भुगतान करना पडता है तो भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार के किसी भी बकाया बिल अथवा धरोहर राशि में से इसका समायोजन करने के लिए प्रबन्धन स्वतंत्र होगा । उक्त राशि समुचित नहीं होने पर शेष राशि विधि सम्मत प्रकिया द्वारा वसूली जा सकेंगी।

20.0 संविदाकार द्वारा अपील करना

यदि सविदाकर्ता, स्थानीय प्रबन्धन द्वारा दिये गये निर्णय या कार्य प्रणाली से संतुष्ट नहीं होता है तो Annexure-C के अनुसार वह प्रथम अपील अधिकारी जोकि प्रबन्ध निदेशक, आरएसएमएम लि., मीरा मार्ग, उदयपुर व द्वितीय अपील अधिकारी खान विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर है के समक्ष अपना उपरोक्त प्रतिवेदन सलंग्न Form No.1 (see rule 83) - Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 में भरकर निर्धारित शुल्क देकर प्रस्तुत कर सकता है ।

21.0 **न्याय क्षेत्र**

इस संविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उस हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर न्यायालय ही रहेगा ।

22.0 **विविध**

22.1 संविदाकार कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, उपदान संदाय अधिनियम 1972, मोटर यान अधिनियम 1988, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, फेटल एक्सीडेन्ट एक्ट 1855, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठेका श्रम (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) अधिनियम 1970 एवं अनुबन्धित कार्य पर लागू समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत दिये गये उपबन्धों, नियमों, उपनियमों का पालन करने के लिए बाध्य होगा । इसमें उक्त अधिनियमों/नियमों में समय समय पर किये गये संशोधनों का निर्वहन नहीं किये जाने पर उसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को होने वाली क्षतिपूर्ति के लिये भी संविदाकार पूर्णरूप से जिम्मेदार रहेगा । निर्धारित कार्य अवधि के दौरान वाहनों के किसी भी समय एवं किसी भी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में सभी संबंधित जिम्मेदारी, जिसमें सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है, संविदाकार की होगी ।

22.2 संविदा लागू होने की स्थिति में संविदाकार को कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम और उसके अंतर्गत बनी हुई योजनाएं/नियमों और संविदाकार द्वारा नियोजित कामगारों पर लागू होने वाले सभी नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत अपना अंशदान जमा कराने का दायित्व होगा । संविदाकारऐसे कर्मचारियों से उनका अंशदान वसूल करेगा और अपने अंशदान (भविष्यनिधि अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी दर अनुसार अपने अंशदान की बराबर राशि) के साथ सीधे क्षेत्रिय भविष्य निधि कार्यालय अथवा कंपनी के पी.एफ.ट्रस्ट में जमा कराएगा । कम्पनी के पी.एफ. ट्रस्ट में जमा कराये गये अंशदान पर कर्मचारी के वेतन (मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता) का 1.15 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क के रूप में कम्पनी द्वारा वसूला जावेगा । इस प्रशासनिक शुल्क में से 0.18 प्रतिशत के बराबर राशि कम्पनी द्वारा निरीक्षण शुल्क के रूप में क्षेत्रिय भविष्यनिधि कार्यालय में जमा कराई जावेगी । चूँकि संविदाकार के द्वारा चूक होने की स्थिति में कंपनी को वह राशि संविदाकार की ओर से जमा करानी होगी अतः संविदाकार उस राशि का कंपनी को पुनर्भरण के लिए बाध्य होगा । कंपनी संविदाकार की ओर से किये गये ऐसे अंशदान की राशि के समायोजन के लिए अधिकृत होगी । संविदाकार ऐसे रिकार्ड के रखरखाव और नियमों के अंतर्गत संबंधित अधिकृत अधिकारियों को नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए भी बाध्य होगा । कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण हेतु मांगने पर ऐसे समस्त रिकार्ड एवं प्रतिवेदन को संविदाकार उपलब्ध कराएगा । श्रमिकों से संबंधित समय समय पर समूह महा प्रबन्धक/उप महा प्रबन्धक और राज्य सरकार द्वारा बनाए गये नियमों/अधिनियमों जैसे श्रमिकों को वेतन का भुगतान, वेतन भुगतान अवधि, अनाधिकृत कटौतियॉ, वेतन बुक एवं पर्चियों, वेतन की सूचना का प्रकाशन और नियोजन की अन्य शर्ते, निरीक्षण एवं अवधिपरक प्रतिवेदनों का प्रेषण एवं अन्य संबंधित प्रावधानों की पूर्ण पालना करेगा ।

23.0 निविदाकर्ता एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006) के अन्तर्गत पंजिकृत हो तो उसका नम्बर देना अनिवार्य है ।

24.0 संविदाकार को स्थान, मार्ग आदि का निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व स्वंय को पूर्ण रूप से आश्वस्त कर लेना होगा ताकि कार्य के दौरान कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं हो । निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्तियॉ/ संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगें । निविदा में किसी भी प्रकार की शर्त स्वीकार नहीं होगी।

25.0 प्रबन्धन के पास बिना कोई कारण बताए किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

प्रबन्धक(अनुबन्ध)

<u>निविदाकर्ता द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम ....यह घोषणा करते है कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्ते हमें स्वीकार्य है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर
मोबाईल नं.................पता.....................

परिशिष्ठ अ

प्रारूप

निविदाकार द्वारा नियोजित वाहनों पर नियुक्त चालको एवं हेल्परों का विवरण

1. नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. वर्तमान पता
5. स्थाई पता
6. नामांकित व्यक्ति
7. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
8. यात्री वाहन का बैज नं.
9. ड्राइविंग लाइसेंस की श्रेणी (भारी वाहन चालक)
10. शैक्षणिक योग्यता
11. कार्यानुभव एवं प्रमाण

निविदाकार के हस्ताक्षर———————————
एवं दिनांक

परिशिष्ठ ब

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

एसबीयू–पीसी लिग्नाईट

निविदा संख्याः आरएसएमएमएल/एसबीयू–पीसी लिग्नाईट/कान्ट्रेक्ट/2013–14/14 दिनांकः 06.3.2014

तकनीकी एवं वाणिज्यिक (**Part.I**)

निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना चाहिए ।

क्रम संख्या	विवरण	निविदाकर्ता स्वयं भरें
1.	वॉछित बयाना राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. व राशि	
2.	निविदाकर्ता का नाम, पिता का नाम वर्तमान एवं स्थाई पता एवं टेलिफोन/ मोबाईल/ फैक्स/ ई–मेल इत्यादि	
3.	फर्म की स्थिति में फर्म का नाम, पंजियन संख्या की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।	
4.	निविदा प्रपत्र में क्लाज संख्या 3.0 के अनुसार वांछित शपथ पत्र	हॉ/नहीं
5.	एमएसएमईडी रजिस्ट्रेशन (MSMED Act 2006) के लिये परिशिष्ठ–स	हॉ/नहीं
6.	अण्डर टेकिंग परिशिष्ट–ब के अनुसार	
7.	सर्विस टैक्स नं. की प्रति	हॉ/नहीं
8.	पेन (PAN) नं. की प्रति	हॉ/नहीं
9.	यदि निविदा प्रपत्र को वेब–साईट से डाउन–लोड किया है तो निविदा प्रपत्र की शुल्क का विवरण	डीडी नं.......................रू.............. दि........

दिनांक : हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

संलग्न :–

<u>घोषणा</u>

मैं/हम यह घोषणा करते है कि हमने इस निविदा प्रपत्र की सभी शर्तो एवं कार्य को अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है और इसकी सभी शर्ते हमें स्वीकार्य है । इस तथ्य की पुष्टि के लिए प्रत्येक पृष्ठ पर अपने/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कर दिये है ।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता मय मोहर

प्रारूप

(रू.100/– के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो कि नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है

शपथ पत्र

मैं ....,पुत्र..................................जाति, ... आयु ....निवासी गॉव/कस्वा/मोहल्ला, मकान नं0.................................तहसील ....जिला .... (प्रदेश).................. शपथपूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूॅ कि :–

1. यह है कि मैसर्स .... ने आरएसएमएम लिमिटेड़ में **सोनरी लिग्नाईट परियोजना, बाडमेर के लिए एक (01) बोलेरो 07–सीटर एवं दो (02) बोलेरो 09–सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) चालक सहित किराये पर लेने हेतु** निविदा प्रपत्र प्रस्तुत किया है । जिसको मैंने भली भॉति पढ़ एवं समझ लिया है तथा निविदा प्रपत्र में जारी सभी शर्ते एवं नियम मुझे मान्य है ।
2. यह है कि मैसर्स .... के पक्ष में यदि आरएसएमएम लिमि. की द्वारा उक्त कार्य जारी किया जाता है तो मैं पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूॅ कि मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य को सुचारू रूप से एवं बिना किसी अवरोध के करने का तैयार हूॅ ।
3. यह है कि आरएसएमएम लिमि. के द्वारा मेरे पक्ष में जारी किये गये कार्य के लिए निविदा प्रपत्र में के अनुसार ही नियत समय पर वाहन उपलब्ध कराऊगा एवं जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरे स्वयं की होगी ।
4. यह है कि आरएसएमएम लिमि. द्वारा सलंग्न निविदा प्रपत्र में निर्दीष्ट कार्य मेरे पक्ष में जारी किये जाने पर मैं यदि विलम्ब करता हूॅ या कार्य आरम्भ/क्रियान्वित करने में असफल रहता हूॅ तो कम्पनी द्वारा कार्य आदेश निरस्त कर मेरे द्वारा जमा कराई गयी बयाना/धरोहर राशि को जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं भविष्य में आरएसएमएमएल द्वारा जारी किसी प्रकार के निविदा में मुझे भाग लेने के पात्र नहीं माना जावें, जिसके लिए मैं भविष्य में किसी प्रकार का एतराज एवं उज्र नहीं करूॅगा ।

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

<u>सत्यापन</u>

मैं उक्त .... ईश्वर को साक्षी मानकर बयान करता हूॅ कि इस शपथ पत्र के पेरा 1 लगायत 4 सत्य एवं सही है तथा संलग्न निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते पढ व समझ कर स्थिर बुद्धि, स्वस्थ चित्त की अवस्था में अपने हस्ताक्षरों से कुल किता मुद्रांक 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया है, ताकि सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवें । इति

शपथग्रहिता

(निविदाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर)

दिनांक–
स्थानः
गवाह 1. हस्ताक्षर...................................... 2. हस्ताक्षर ....
(गवाह का नाम व पूरा पता) (गवाह का नाम व पूरा पता)

Undertaking

I/We …………………………………… in respect of submission of tender for the work of hiring of One (01) Bolero 07-seater and two(02) 9-seater Non AC Diesel Taxi for Sonari Lignite Project, RSMM Ltd., Barmer, hereby declare as under:-

1. We confirm that we have not put any other deviations to the tender terms & conditions.

2. We have not been banned/ debarred/ suspended by the RSMM Ltd. in past for any reason/default.

3. No Legal case is pending with RSMML.

( )
Signature of tenderer

Name and seal of tenderer

Date:
Place:

परिशिष्ठ–य

(On the letter head of the tenderer)

DECLARATION

Declaration for Registration under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006

1. Whether the tenderer is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006.____________________(Yes/NO)

2. If yes, please furnish the declaration given below.

   We (Name of Tenderer____), hereby declare that, our organization is registered under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 as _____________ (Micro, Small & Medium)Enterprises.

3. Enclose attested copy of registration certificate.

4. Whether the tenderer is also registered as S.S.I. units, if yes, enclose copy of registration certificate.

Signature of tenderer with stamp

Date:
Place:

परिशिष्ठ–र

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF
Rs. 10/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

प्रारूप

शपथ पत्र

मैं..पुत्र..........................जाति.. निवासी .... तहसील.......................जिला......................(राज0) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ

1. कि यदि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड की निविदा संख्याः आर.एस.एम. एम.एल./एसबीयू–पीसी–लिग्नाईट/कान्ट्रेक्ट/2013–14/14 दि 06.03.2014 के तहत मेरे पक्ष में कार्य स्वीकृत होता है तो मैं 15 दिवस के अन्दर–अन्दर कम्पनी द्वारा जारी कार्यादेश के अनुसार एवं निविदा प्रपत्र में वांछित माडल के वाहन आपको उपलब्ध करवा दूँगा ।
2. यह है कि यदि मैं 15 दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार वाहन उपलब्ध नहीं करवा पाता हूँ तो मेरी बयाना राशि **रूपये 51360/–** (रूपये इकावन हजार तीन सौ साठ मात्र) एवं जमा धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार कम्पनी को होगा ।

ह. निविदाकर्ता

तस्दीक

मैं तस्दीक करता हूँ कि शपथ पत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है । इति दिनांक

ह. निविदाकर्ता

परिशिष्ठ–ल

(TO BE TYPED THE NON JUDICIAL STAMP PAPER OF Rs. 10/- ATTESTED BY NOTARY/MAGISTRATE)

I…………………………..S/o Shri ………………………. aged…… year, resident of …………………………………………………………………. on behalf of the tenderer i.e. M/s ……………………………………….. ……………………… hereby undertake oath and state as under:-

1) That I have submitted a tender for ……………………………

2) That I/We have gone through the temrs & conditions of the tender document.

3) That the provisions of Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 including subsequenbt amendments & notifications, in respect of the employees engaged for the work, are not applicable on me/us (i.e. tenderer/contractor).

4) That in case during the currency of the contract, I/We come under the purview of Employees Providnet Fund and Miscellaneous Provisons Act, 1952 including subsequent amendments & notifications, then I/We will get myself/ourselves registered with the concerned PF Commissioner.

Deponent
(Authorised Signatory)

VERIFICATION

I/We the above deponent make oath and state that my above statement is true and correct to my personal knowledge, that no part of it is wrong, that nothing material has been concealed, so help me God.

Deponent
(Authorised Signatory)

Annexure A

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड्

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
(g) disclose conflict of interest, if any; and
(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

<u>Declaration by the Bidder</u>

In relation to my/our Bid submitted to ……………………. For procurement of ………………………. in response to their Notice Inviting Bids No. …………… ……. Dated ………….. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding of commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date

Place

Signature of bidder

Name:

Designation:

Address:

Annexure C

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Grievance Redressal during Procurement Process.

The designation and address of the First Appellate Authority is –

Managing Director,
RSMM Limited,
4-Meera Marg, Udaipur (Raj.)

The designation and address of the Second Appellate Authority is –

Mines Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur

(1) **Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) **Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procumbent;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) **Form of Appeal**

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Form No.1
(see rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. ………………. of …………………………….
Before the …………………………….(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):

   (i)
   (ii)
   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal : ……………………………………………………………………….
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………..(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ……………………………………………………………………………
   ……………………………………………………………………………………………………
   ……………………………………………………..

   Place …………………………..
   Date …………………………..
   Appellant's Signature

Annexure D

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(ii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value Service or Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

* * * * *

परिशिष्ठ-व

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड़

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302005

निविदा संख्याः आरएसएमएमएल / एसबीयू–पीसी लिग्नाईट / कान्ट्रेक्ट / 2013–14 / 14 दिनांकः 06.03.2014

द्वितीय भाग

दर प्रस्ताव (Rate Part)

निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़ने एवं समझने के बाद इस भाग को भरना होगाः–

वांछित वाहन का विवरण	वाहन के चलने की दूरी	दरें रूपये अंकों व शब्दों में
एक बोलेरो–7–सीटर तथा 02 (दो) बोलेरो–9सीटर (नान एसी डीजल टैक्सी परमीट) मय वाहन चालक सहित किराये पर लेने हेतु । वाहन का मॉडल वर्ष 2013 का होना आवश्यक है ।	**<u>एक (01) बोलेरो –07–सीटर के लिए</u>** (i) प्रथम 4000 कि.मी. प्रतिमाह चलने की किराये की मासिक दर ।	रूपये (अंकों में)....... (अक्षरे रू.......................................) रू.(शब्दों में) ....
	(ii) प्रथम 4000 कि.मी. प्रतिमाह से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर । (अतिरिक्त कि.मी. की गणना मासिक आधार पर की जायेगी)	रूपये (अंकों में)....... (अक्षरे रू.......................................) रू.(शब्दों में) ....
	<u>दो (02) बोलेरो –09 सीटर के लिए</u> (i) प्रथम 4000 कि.मी. प्रतिमाह चलने की किराये की मासिक दर ।	(केवल दोनो बोलेरो 9–सीटर बाबत) रूपये (अंकों में)....... (अक्षरे रू.......................................) रू.(शब्दों में) ....
	(ii) प्रथम 4000 कि.मी. प्रतिमाह से अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर की दर । (अतिरिक्त कि.मी. की गणना मासिक आधार पर की जायेगी)	रूपये (अंकों में)....... (अक्षरे रू.......................................) रू.(शब्दों में) ....

नोट :

1. अंकों व शब्दों में लिखी गई दर में विरोधाभास होने पर शब्दों में लिखी गई दरें ही मान्य होगी
2. उपरोक्त दर में सर्विस टैक्स को शामिल नहीं किया गया है ।
3. उपरोक्त वाहन से सम्बन्धित मासिक आधार पर प्राप्त दर प्रस्ताव ही मूलतः न्यूनतम दर का प्रस्ताव माना जाएगा । इन दर प्रस्तावों के बराबर (समान) प्राप्त होने पर अतिरिक्त कि.मी. के लिये प्राप्त न्यूनतम दर न्यूनतम निविदा प्रस्ताव निर्धारण का आधार बनेगी ।
4. उपरोक्त दरों से अतिरिक्त कहीं भी दर प्रस्ताव संबंधित अंश आदि निविदा प्रस्ताव में इंगित नहीं किया गया है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ————————————————

निविदाकर्ता का नाम व पद ————————————————

पता————————————————————

टेलिफोन नं............................दिनांक...............मोबाइल नं0........................